



पंचदश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-3

सोमवार, दिनांक-03 दिसम्बर, 2012 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.25 बजे अप० तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

- (i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
- (ii) 17 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
- (iii) 42 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किए जाने की घोषणा की गई ।

माननीय सदस्यों के अनुरोध करने पर आसन द्वारा घोषणा की गई कि इस विषय को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में रखा जायेगा ।

[3] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (i) श्री राजकुमार राय | (ii) श्री ललन राम |
| (iii) श्रीमती दिलमरणि देवी | (iv) श्री गजानन्दन शाही |
| (v) श्री अरूण शंकर प्रसाद | (vi) श्री रामनरेश प्रसाद यादव |
| (vii) श्री कृष्णनन्दन यादव | (viii) श्री विनोद प्रसाद यादव |
| (ix) श्री रामदेव महतो | (x) श्री चितरंजन कुमार |
| (xi) श्री रामचन्द्र सदा | (xii) श्री पवन कुमार जायसवाल |
| (xiii) श्री अखतरूल ईमान | (xiv) श्री जनक सिंह |
| (xv) श्री प्रदीप कुमार | |

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

- (i) माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों की निगरानी विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसका दिनांक 05.12.2012 तक के लिए स्थगित हुआ।
- (ii) माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव एवं अन्य सभासदों की ग्रामीण कार्य विभाग से सम्बंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर दिनांक 05.12.2012 तक के लिए स्थगित हुआ।

[5] सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

- (i) माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा विभिन्न वर्षों के अधिकाई व्यय विवरणी की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- (ii) माननीय सभापति, लोक लेखा समिति श्री ललित कुमार यादव द्वारा समिति का 480, 481, 483, 484, 485, 486 एवं 488वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।
- (iii) माननीय सभापति, शून्यकाल समिति श्री अवनीश कुमार सिंह द्वारा समिति का 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एवं 50वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(भोजनावकाश के बाद)

समय 02.00 बजे अप० से 05.55 बजे अप० तक।

[6] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

(i) बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2012 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री रमई राम द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री राम लषण राम 'रमण' द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(ii) बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2012 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री रमई राम द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर दिया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में खण्ड-2 में माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह एवं श्री अखतरूल ईमान के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा बारी-बारी से सभी खण्ड विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(iii) बिहार शहरी आयोजना तथा विकास विधेयक, 2012 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री प्रेम कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(iv) बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) विधेयक, 2012 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में खण्ड-3 में माननीय सदस्य श्री दुर्गा प्रसाद सिंह का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी द्वारा विधेयक पर अपना पक्ष रखा गया।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया तथा विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(v) पटना विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2012 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री पी०के० शाही द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

(vi) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2012 :-

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री पी०के० शाही द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य श्री राम लखण राम 'रमण' द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

[7] सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :-

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत "राज्य में मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति" पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया। विमर्श में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

- (i) श्री अवधेश कुमार राय
- (ii) श्री सोम प्रकाश सिंह
- (iii) डा० जावेद

इस बीच आसन द्वारा सदन की सहमति से सदन की अवधि का विस्तार सरकार के उत्तर होने तक किया गया।

माननीय प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री नितीश मिश्रा द्वारा सरकार के ओर से उत्तर दिया गया।

"सरकार के उत्तर के दौरान विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर गए।"

[8] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 46 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएंगे।

[9] शोक प्रकाश :-

माननीय अध्यक्ष महोदय ने भारत के 12वें प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की।

तदुपरान्त सभी माननीय सदस्यों ने एक मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि शोक संवेदना शोकाकुल परिवार के पास भेज दिया जाए।

"शोक प्रकाश के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन में वापस आ गए।"

तदुपरान्त सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 04.12.2012 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-03.12.2012

लक्ष्मीकान्त झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।